राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 361/2009/जयपुर.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
उड़नदस्ता राजस्थान–I, जयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स चन्द्रा इण्डस्ट्रीज, डिग्गी हाउस, जयपुर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री के. एल.जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एन. के. बैद,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री डी. कुमार, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 01/11/2017

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स) द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) द्वारा अपील संख्या 226/अपील्स–II/आरएसटी/जयपुर/डी/2007–08 में पारित किये गये आदेश दिनांक 30.08.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उड़नदस्ता, राजस्थान–प्रथम, जयपुर (जिसे आगे **'सक्षम अधिकारी'** कहा जायेगा) के द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरूद्ध राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 78(5) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 22.04.1999 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 22.4.99 को वाहन संख्या एच.आर.38/सी–9731 को दिल्ली से जयपुर आते हुए चैक किया जाने पर वाहन में लदे माल 'क्रॉकरी' से सम्बन्धित बिल–बिल्टी प्रस्तुत किये गये, किन्तु घोषणा पत्र एस.टी.18ए प्रस्तुत नहीं किया गया। इस बाबत् कारण बताओ नोटिस जारी किया जाने पर भी व्यवहारी द्वारा घोषणा पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाने पर सक्षम अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 78(5) के तहत आदेश दिनांक 22.04.1999 पारित करते हुए शास्ति रूपये 25,007/– का आरोपण किया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.08.2008 से स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

लगातार.....2

3. बहस के दौरान अपीलार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने सक्षम अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि वक्त चैकिंग वांछित दस्तावेज घोषणा–पत्र एस.टी.18ए परिवहनित माल के साथ संलग्न नहीं था। अतः सक्षम अधिकारी द्वारा शास्ति का आरोपण विधि अनुसार किया गया था एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा अनुचित आधार पर शास्ति को अपास्त किया है कि दिनांक 22.03.2002 से पूर्व माल मालिक पर शास्ति का आरोपण नहीं किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **22 टैक्स अपडेट पार्ट–5 पेज–159 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मैसर्स बजाज इलेक्ट्रिकल्स** के प्रकरण में स्पष्ट रूप से यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि दिनांक 22.3.2002 से पूर्व माल मालिक पर भी अधिनियम की धारा 78(5) के तहत शास्ति का आरोपण किया जा सकता है। इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **(2007) 18 टैक्स अपडेट 321 मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी** के निर्णय में प्रतिपादित किया गया है कि वांछित दस्तावेज के अभाव में अथवा दस्तावेज अपूर्ण होने की स्थिति में अधिनियम की धारा 78(5) के तहत शास्ति का आरोपण उचित है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने राजस्व की अपील स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि वक्त जांच माल से सम्बन्धित बिल व बिल्टी प्रस्तुत कर दिये गये थे। प्रत्यर्थी व्यवहारी की करापवंचन की कोई मंशा नहीं थी। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति आदेश अपास्त किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. हस्तगत प्रकरण में यह निर्विवादित है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अधिसूचित माल का परिवहन बिना घोषणा–पत्र एस.टी.18ए के किया जा रहा था। इस बाबत कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने पर भी प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा वांछित घोषणा–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति आदेश इस आधार पर अपास्त किया गया है कि दिनांक 22.03.2002 से पूर्व अधिनियम की धारा 78(5) के तहत शास्ति का आरोपण माल मालिक पर नहीं किया जा सकता। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक

लगातार.....3

दृष्टान्त **22 टैक्स अपडेट पार्ट–5 पेज–159 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मैसर्स बजाज इलेक्ट्रिकल्स** के प्रकरण में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि दिनांक 22.03.2002 से पूर्व माल मालिक पर भी अधिनियम की धारा 78(5) के तहत शास्ति का आरोपण किया जा सकता है। इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **(2007) 18 टैक्स अपडेट वोल्यूम 321 मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी** के निर्णय में स्पष्ट व्यवस्था दी गयी है कि वांछित दस्तावेज के अभाव में अथवा अपूर्ण होने की स्थिति में अधिनियम की धारा 78(5) के तहत शास्ति का आरोपण पूर्णतया उचित है, जिसमें करापवंचन की मंशा प्रमाणित किया जाना बाध्यकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 22.03.2002 से पूर्व माल मालिक पर अधिनियम की धारा 78(5) के तहत शास्ति आरोपित करने के आधार पर सक्षम अधिकारी के आदेश को अपास्त करने सम्बन्धी अपीलीय आदेश विधिसम्मत नहीं होने से निरस्तनीय है।

7. परिणामस्वरूप राजस्व की अपील स्वीकार करते हुए अपीलीय अधिकारी का अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.08.2008 अपास्त किया जाता है तथा सक्षम अधिकारी के आदेश दिनांक 22.04.2009 को बहाल (Restore) किया जाता है।

8. निर्णय सुनाया गया।

(के. एल. जैन)
सदस्य